तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 13/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रवीण कुमार V/s आंगनवाड़ी प्रथम ग्राम बसंत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.03.2026	पत्रावली पेश हुई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा आदेशांक 434 दिनांक 05.09.2024 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनअधिवासित कृषि भूमियों का आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत महिला व बाल विकास परियोजना विभाग को ग्राम बसंत में आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए भूमि आवंटित की गई, के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अंतर्गत हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम तो अपीलांट अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं हैं तथा अपील प्रस्तुत करने का आवेदन प्रस्तुत किए बिना अपील प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही अपील म्याद बाहर होने के बावजूद विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत की हैं। चूंकि उपखंड अधिकारी सुमेरपुर का प्रश्नगत आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं उक्त अधिनियम से संबंधित नियम से संबंधित है न कि काश्तकारी अधिनियम 1955 के किन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत पारित आदेश है। अतः ऐसी स्थिति में भू राजस्व अधिनियम व इससे संबंधित नियम में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अंतर्गत अपील अनुमत नहीं हैं। अतः अपील प्रथमदृष्टया पोषणीय ही नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट कानूनन पोषणीय नहीं होने, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति व विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र नहीं होने एवं अपील म्याद बाहर होने एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति अपीलांट को नहीं होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया। (डॉ. भास्कर बिश्नोई) **राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**	